

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-60/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० गीतांजली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजियारपुर, समस्तीपुर द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-05.05.2025 से 31.10.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-60/2025-

916(2)

पटना, दिनांक 3/6/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजियारपुर, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० गीतांजली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजियारपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/5/25-

सरकार के अवर सचिव